

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/145/

जबलपुर, दिनांक 12/01/2021

श्रीमती तिज्जो बाई, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को बिना सूचना/आवेदन पत्र के अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.12.2020 से 12.12.2020 तक 3 दिन का अवैतनिक अवकाश किया जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शार्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/146/

जबलपुर, दिनांक 12/01/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा / पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल / वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती तिज्जो बाई, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.